बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांकः– प्र01 / ग्रा0 वि0–02 / 2013–   पटना, दिनांक–__________ /

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषयः–राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत आपूर्त्ति किये गये उपकरणों / सामग्रियों पर भुगतान किये गए प्रवेश शुल्क की राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 78,73,331 / –(अठहत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ एकतीस रूपये) मात्र बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–179 दिनांक–28.01.2016 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत आपूर्त्ति किये गये उपकरणों / सामग्रियों पर भुगतान किये गए प्रवेश शुल्क की राशि रू0 78,73,331 / –(अठहत्तर लाख तिहत्तर हजार तीन सौ एकतीस रूपये) मात्र बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2015–16	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
100000000.00	13785277.00	7873331.00	21658608.00	78341392.00

2. यह राशि मुख्य शीर्ष –2801–बिजली, उपमुख्य शीर्ष–02–ताप विद्युत उत्पादन, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0001 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 (सम विकास योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति) विषय शीर्ष–33 01 सब्सिडी विपत्र कोड एन0–2801021900001, माँग सं0–10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0045– बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0 व्यय शीर्ष एल0 8448001200045 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200045 में जमा की जायेगी।

कृ0पृ0ऊ0

E-JNP-IL-Sanctioning-2015-16

4. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही राशि की निकासी करेंगे।

5. आवंटित राशि निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित विषय शीर्ष का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिह्नित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सचिव।

ज्ञापांक– प्र01/ग्रा0 वि0–02/2013– 03 पटना, दिनांक– 02/02/2016 /

प्रतिलिपि:– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र01/ग्रा0 वि0–02/2013– 03 पटना, दिनांक– 02/02/2016 /

प्रतिलिपि:– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/ प्रशाखा–7, वित्त विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।